

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ 13-178/2019/38-2,

भोपाल, दिनांक 4/2/21


प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश
2. समस्त रजिस्ट्रार ,
परम्परागत विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश
3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:-विधान सभा 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक के दौरान बिना अनुमति से मुख्यालय न छोड़ने के संबंध में ।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत विधान सभा 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक आहूत किया गया है । निर्देशानुसार विधानसभा में प्रश्नों के उत्तर समय पर प्रेषित करने के लिए इस अवधि में समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें एवं उक्त अवधि में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े ।
(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


04.02.21

(डॉ. आलोक निगम)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी


म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 4/2/21

क्रमांक एफ 13-178/2019/38-2

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आई.टी.प्रभारी कृपया वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।


04.02.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग